[illegible]

[illegible]

[illegible]

10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा विद्यालय के अतिरिक्त निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण। इसमें

(i) विद्यालय परिसर क क्षेत्रफल :- 2 acre डिसमिल

(ii) कुल निर्मित क्षेत्र :- 2 acre डिसमिल

(iii) खेल के मैदान क क्षेत्र :- SMART CLASS ROOM COMPUTER LAB BIOLOGY LAB MATH LAB CHEMISTRY LAB PHYSICS LAB COMPOSITE LAB LIBRARY COMON ROOM PLAY GROUND VEHICLE PARKING GUARD ROOM CCTV FLOWER AND PLANTS

(iv) वर्ग कक्षों की कुल संख्या :- 22

(V) प्रधानाध्यापक-सह कार्यालय सह-भंडार कक्ष :- 3

(VI) बालक तथा बालिकाओं के लिये अलग-अलग शौचालय :- Indian , Boys :- 16 , Girls 14

(VII) पेयजल की सुविधा :- 6

(VIII) मध्याह्न भोजन के लिये रसोई घर :- 0

(IX) बाधारहित पहुँच [ ] :-

(X) शिक्षण अधिगम सामग्री/ खेल-कूद उपकरण/ पुस्तकालय :- SMART TV, PRE. PRIMARY SCHOOL EXCELLENCE KIT, PRIMARY SCHOOL EXCELLENCE KIT, SECONDARY SCHOOL EXCELLENCE KIT, WHITE BOARD, MAP, GLOBE, MODEL, POSTER, CHART, CARTOON, FOOTBALL, VOLLYBALL, CRICKET KIT, BADMINTAL KIT, CARROM BOARD, CHESS, ROPE FOR SKIPPING, RING BOLL, THROWBALL, DOMBLE, JABLING , (Y , 999 , NewsPaper MagaZine:- 10)

11. कोई भी अपस्वीकृत वर्गका विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।

13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।

15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जायगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जाएगी।

16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृति कोड संख्या [23014062023621132016, 2023] है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को अंकित एवं उद्धृत किया जाए।

17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा / जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा समय-समय पर माँग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृति की शर्तों के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।

18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।

19. अनुलग्नक III के रूप में संलग्न अन्य शर्तें

667

जिला शिक्षा पदाधिकारी, PATNA
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

Principal
VISHASHVI PUBLIC SCHOOL
Aff. to CBSE Aff. No.-330358
N.H. 30A FATUHA SCH. No.-65353
PATNA, BIHAR (803201)

CHAIRMAN
Vishashvi Educational Scientific
Technical & Health Trust
Regd. No.-132/17, Chitrakut Nagar
Rd. No.-3, PO-Digha, Patna-800012 (Bihar)